



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-18.11.2023

ऑपरेशन कन्विकशन के तहत अभियुक्त रिजवान अहमद को गोवध निवारण व पशु क्रूरता अधिनियम के प्रकरण में मान0 न्यायालय द्वारा अधिकतम 15 दिवस के कारावास व कुल 7050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना-लंका में पंजीकृत मु0अ0सं0- 413/2013 धारा- 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त रिजवान अहमद पुत्र अब्दुल कादिर निवासी ननवई थाना कोखराज जिला कौशाम्बी को थाना लंका पुलिस व मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 18.11.2023 को मान0 न्यायालय ए0एस0जे0 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त रिजवान अहमद उपरोक्त को धारा-3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम में 15 दिन का कारावास व 07 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा-11 पशु क्रूरता अधिनियम में 50 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
जोन-काशी कमिश्नरेट-
वाराणसी